367

राजस्थान सरकार

राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

कमांक-प. 6(39)राज./6/85/18 जयपुर,दिनांक:- 17.10.2005

1. समस्त जिला कलेक्टर।

::परिपत्र::

विषय:-पेटा किस्म की भूमि में कुएं हेतु भूमि आवंटन/नियमन के सबंध में मार्गदर्शन।

महोदय,

राज्य सरकार को जिला कलेक्टरों से समय-समय पर पेटा काश्त की भूमि में कुएं हेतु भूमि आवंटन/नियमन के संबंध में मार्गदर्शन देने हेतु पत्र प्राप्त होते रहते है।

विचाराधीन प्रकरण के परीक्षण के उपरान्त तथ्य यह है कि पेटा किस्म की भूमि जल संग्रहण क्षेत्र होता है, जिसके बीच में कुआं खोदने से जल संग्रहण का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। उच्च -न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय के अनुसार भी जल संग्रहण क्षेत्र में अतिकमण या आवंटन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अत: किसी भी पेटा किस्म की भूमि जो जल संग्रहण क्षेत्र होता है, में यदि निजी कुआं बनवा लिया हो तो आवंटन/नियमन की स्वीकृति नियमों के अंतर्गत नहीं की जा सकती व अतिकमण को हटवा दिया जाना चाहिये।

आज्ञा से,

17.X.05

(के0 जी0 अग्रवाल)

शासन उपसचिव,राजस्व